

प्रेषक,

आञ्जनेयकुमारसिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
परती भूमि विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, महोबा, झांसी, फैजाबाद,
गोरखपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर, अलीगढ़,
अम्बेडकर नगर, औरैया, बरेली, बस्ती, देवरिया, एटा, फतेहपुर, फिरोजाबाद,
गाजीपुर, हरदोई, हाथरस, अमरोहा, कानपुर नगर, कौशाम्बी, सहारनपुर,
सम्भल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, उन्नाव, आगरा, इलाहाबाद, अमेठी,
बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बागपत, बिजनौर, गोण्डा, कानपुर देहात,
लखनऊ, महाराजगंज, मथुरा, मऊ, पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, सोनभद्र
आजमगढ़ तथा वाराणसी।

पत्र सं०— /एस.एल.डी.सी./8(9)/2011टीसी/2016-17 लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2016

विषय—समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं के वाटरशेड वर्क फेज की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या—के—11013/19/2013/आईडब्ल्यूएमपी(यूपी)क्रमांक-1/यूपी/2015-16/आईडब्ल्यूएमपी0दिनांक 31 अगस्त, 2015 तथा पत्र संख्या—के—11013/19/2013/आई.डब्ल्यू.एम.पी. (यूपी) क्रमांक-2/यूपी/2015-16/आई.डब्ल्यू.एम.पी. दिनांक 31 अगस्त, 2015 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि राज्य के बजट खाते में जमा की गयी है, जिसकी पुष्टि वित्त विभाग के केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा की गयी है, शासनादेश संख्या—74/आईडब्ल्यूएमपी/85-परती-2015-30(परती)/2014 दिनांक 19 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश सं०—86/आई.डब्ल्यू.एम.पी./85-परती-2015-30 (परती) /2014 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश को सम्मिलित करते हुये परियोजना मद के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त की गयी थी। भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40 किये जाने के उपरान्त शासनादेश सं०—10/2016/10/आई.डब्ल्यू.एम.पी./85-परती-2016-30(परती)/2014टीसी दिनांक 16 मई, 2016 के द्वारा अनुदान सं०— 83 (एस.सी.एस.पी. योजना) में अवशेष 30 प्रतिशत राज्यांश अर्थात् ₹0 9.059 करोड़ अवमुक्त किया गया है। परियोजना मद के अन्तर्गत एसएलडीसी में गतवर्षों की अवशेष धनराशि तथा शासनादेश दिनांक 16.05.2016 द्वारा प्राप्त धनराशि ₹0 9.059 करोड़ को सम्मिलित करते हुये कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वाटरशेड वर्क फेज की 50 प्रतिशत धनराशि में से वर्ष 2015-16 एवं कार्यालय आदेश सं०—45/85-परती-2016/2016-17 दिनांक 26.04.2016 तथा कार्यालय आदेश संख्या—216/एस.एल.डी.सी./8(9)/2011टीसी/2016-17 दिनांक 14 जून, 2016 तक कुल अवमुक्त की गयी धनराशि को घटाकर प्रशासनिक मद एवं कार्यमद में धनराशि संलग्न तालिका के कालम नं०—12 में अंकित धनराशि समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एसएलडीसी

